

नीट और तमलिनाडु का वरिोध

प्रलिमिंस के लयि:

नीट, केंद्र और राज्य की शकृतरिीं

मेन्स के लयि:

केंद्रीय कानूनों का उल्लंघन करने वाले राज्यों के परणाम

चर्चा में क्यीं?

NEET के खलिाफ कानूनी लड़ाई तमलिनाडु द्वारा आज भी जारी है [सर्वोच्च न्यायालय](#) ने वर्ष 2017 में NEET से और छूट देने से इनकार कर दिया था ।

राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा (NEET):

परचिय:

- [राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा \(NEET\)](#) जसि पहले [अखलि भारतीय प्री-मेडकिल टेस्ट \(AIPMT\)](#) भी कहा जाता था, भारतीय मेडकिल और डेंटल कॉलेज में [MBBS](#) एवं [BDS प्रोग्राम](#) के लयि योग्यता परीक्षा है ।
 - इसे [नेशनल टेस्टिंग एजेंसी \(NTA\)](#) द्वारा आयोजति कयिा जाता है ।

ऐतहिसकि परपिरेकष्य:

- [भारतीय चकितिसा परिषद \(MCI\)](#) ([राष्ट्रीय चकितिसा आयोग](#) द्वारा प्रतसिथापति) ने वर्ष 2009 में NEET का प्रस्ताव रखा था ।
- अगले वर्ष MCI ने एक सामान्य प्रवेश परीक्षा के माध्यम से देश में MBBS और BDS प्रवेश को वनियमति करने के लयि एक अधसिूचना जारी की ।
 - वर्ष 2013 में सर्वोच्च न्यायालय ने NEET को असंवैधानकि करार दिया था और नरिणय दिया कि MCI के पास मेडकिल/डेंटल कॉलेजों में प्रवेश को वनियमति करने के लयि अधसिूचना जारी करने का कोई अधिकार नहीं है ।
 - अप्रैल 2016 में न्यायमूर्ति अनलि आर. दवे (जनिहोंने वर्ष 2013 में असहमति का फैसला सुनाया) की अध्यक्षता वाली पाँच न्यायाधीशों की पीठ ने वर्ष 2013 के अपने नरिणय को दोहराया और **अंततः NEET के संचालन को अनवार्य कर दिया ।**
 - कुछ हतिधारकों के अनुरोधों के बाद केंद्र सरकार ने मई 2016 में एक [अधयादेश](#) जारी कयिा, जसिमें राज्य द्वारा संचालति मेडकिल कॉलेजों को एक वर्ष के लयि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के दायरे से छूट दी गई थी ।
 - NEET को वर्ष 2016 में सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले के आधार पर पूरे देश में लागू कयिा गया था ।
 - तमलिनाडु सरकार ने शुरू से ही प्रवेश परीक्षा का पुरजोर वरिोध कयिा और शुरुआत में नीट आधारति दाखलि से छूट मलि गई ।

तमलिनाडु के वरिोध का कारण:

- तमलिनाडु ने NEET आधारति प्रवेश प्रक्रिया के प्रभावों का अध्ययन करने के लयि उच्च न्यायालय के सेवानवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति ए के राजन की अध्यक्षता में एक समति का गठन कयिा ।
 - [न्यायमूर्ति ए के राजन ने बताया कि:](#)
 - मेडकिल कॉलेजों में प्रवेश के लयि एकमात्र मानदंड के रूप में NEET की शुरुआत ने उन सीटों पर प्रतकिल प्रभाव डाला है जो ऐतहिसकि रूप से तमलिनाडु बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एग्जामनिशन (TNBSE) उत्तीर्ण करने वाले छात्रों द्वारा प्राप्त कयि गए थे ।
 - इसने केंद्रीय माध्यमकि शिक्षा बोर्ड (CBSE) के छात्रों के लाभ के लयि काम कयिा ।
 - NEET के बाद मेडकिल कॉलेजों में दाखलि लेने वाले अधकिंश छात्र कोचगि लयि हुए थे ।
 - कसिी वषिय को सीखने के वपिरीत कोचगि छात्रों को केवल वशिष परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने के लयि तैयार करने पर केंद्रति होती है ।

- NEET की शुरुआत यह सुनिश्चित करने के लिये की गई थी कि केवल मेडिकल सीटों की तलाश करने वाले मेधावी छात्रों को ही मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश मिले और साथ ही कैंपिशन फीस जमा करने की प्रथा को समाप्त किया जाए, जिसने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया।
 - हालाँकि यह मानता है कि सभी उम्मीदवार एक ही स्थिति से और समान बाधाओं के साथ प्रतस्पर्द्धा कर रहे हैं।
 - राजन की रिपोर्ट इसे एक त्रुटिपूर्ण दृष्टिकोण के रूप में उजागर करती है।
- राजनेताओं का तर्क
 - NEET परीक्षा के दोहराव के कारण मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पाने वाले छात्रों का प्रतश्चितवर्ष 2016-17 के 47% से बढ़कर वर्ष 2020-21 में 71.42% हो गया।
 - दूसरी या तीसरी बार परीक्षा देना और प्रतश्चिति मेडिकल सीट प्राप्त करने के लिये वित्तीय एवं सामाजिक संसाधनों की आवश्यकता होती है।
 - यह गरीब सामाजिक पृष्ठभूमि वाले परिवारों की पहुँच से बहुत दूर है।

NEET में संभावित चुनौतियाँ:

- कोचिंग उद्योग:
 - इससे NEET छात्रों के उच्च माध्यमिक शिक्षा के प्रयासों पर बोझ पड़ता है, साथ ही यह कई अरब डॉलर के कोचिंग संस्थानों को बढ़ावा दे रहा है।
 - इसने उच्च माध्यमिक स्तर पर वर्षों में महारत हासिल करने के बजाय 'बी-ऑल-एंड-ऑल' परीक्षा को पास करने पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है।
- संचालन
 - प्रतस्पर्द्धा के मामलों की रिपोर्ट के साथ NEET के संचालन में विसंगतियाँ रही हैं।
 - हाल ही में आयोजित NEET परीक्षा में भी CBI ने प्रतस्पर्द्धा रैकेट का खुलासा किया और आठ लोगों को गिरफ्तार किया।
 - इस तरह के रैकेट/गरीह योग्यता की अवधारणा को ही चुनौती देते हैं।
- आर्थिक असमानता:
 - यद्यपि इसने राज्य द्वारा संचालित संस्थानों में योग्यता आधारित प्रवेश सुनिश्चित की है जहाँ फीस कम है।
 - समृद्ध आर्थिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार NEET में खराब अंक प्राप्त करके भी डीम्ड विश्वविद्यालयों और नजी कॉलेजों में गरीब, निम्न एवं मध्यम वर्ग के परिवारों से संबंधित मेधावी उम्मीदवारों को छात्र बाहर कर रहे हैं।

वर्तमान स्थिति:

- राष्ट्रपति ने वर्ष 2017 में तमिलनाडु विधानसभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित दो विधायकों को मंजूरी देने से इनकार कर दिया, जिसमें **सनातकोत्तर डग्री मेडिकल पाठ्यक्रमों के लिये NEET आधारित प्रवेश से छूट की मांग की गई थी।**
- वर्ष 2021 में तमिलनाडु विधानसभा द्वारा केवल बारहवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा के अंकों के आधार पर MBBS/BDS पाठ्यक्रमों हेतु छात्रों को प्रवेश देने के लिये एक नया विधायक अपनाया गया था।
 - फरवरी 2022 में राज्यपाल द्वारा विधायक वापस किये जाने के बाद विधायक को सदन द्वारा फिर से अपनाया गया और राज्यपाल को वापस भेज दिया गया।
 - उसके बाद विधायक को राष्ट्रपति की सहमति के लिये गृह मंत्रालय (MHA) को भेज दिया गया है।
 - गृह राज्यमंत्री ने लोकसभा को सूचित किया कि नीट वरिधी विधायक पर तमिलनाडु सरकार से स्पष्टीकरण मांगा गया है।
 - स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और आयुष मंत्रालय ने विधायक पर टिप्पणियाँ प्रस्तुत की थीं जिन्हें तमिलनाडु राज्य सरकार के साथ उसकी टिप्पणियों और स्पष्टीकरणों के लिये साझा किया गया है।

स्रोत: द हिंदू